



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062021-227426
CG-DL-E-09062021-227426

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2027]
No. 2027]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISHTHA 19, 1943

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मई, 2021

का.आ. 2187(ई).—केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइंस (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे एतदपश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 4318(अ), तारीख 26 नवम्बर 2020, भारत के राजपत्र सं० 3794 तारीख 2 दिसम्बर 2020, में प्रकाशित की गई थी, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उत्तर प्रदेश राज्य में कांडला — गोरखपुर एल.पी.जी. गैस पाइपलाइन परियोजना हेतु तहसील खजनी जिला गोरखपुर में एल.पी.जी. गैस के परिवहन हेतु आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी।

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की सूचना सम्बन्धित भू-स्वामियों को तारीख 27 फरवरी 2021 तक उपलब्ध करा दी गई थी,

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है,

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार के अर्जन करने का निश्चय किया है।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड में निहित होगी।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए आई.एच.बी. प्राईवेट लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगा और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची संलग्न

जिला : गोरखपुर		राज्य : उत्तर प्रदेश			
तहसील	गाँव	सर्वे नं	क्षेत्रफल		
			हेक्टेअर-	आर-	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
खजनी	रक्सानारा	128	00	11	17
		138	00	00	37
		139	00	00	20
		155	00	11	83
		154	00	06	87
		151	00	00	26
		164	00	14	94
		166	00	03	29
		167	00	02	48
		175	00	00	40
		221/175	00	00	22
		190	00	10	23
		195	00	13	10
		196	00	11	11
		201	00	00	41
		202	00	00	20
		216	00	16	90
खजनी	छताई	16	00	11	48
		465	00	10	89
		460	00	03	96
		461	00	00	29
		462	00	08	08
		463	00	01	41
		464	00	00	20
		469	00	00	41
		488	00	00	73
		477	00	19	19

1	2	3	4	5	6
		501	00	00	67
		502	00	01	44
		503	00	73	47
खजनी	मंझरिया बुजुर्ग	280	00	00	20
		279	00	01	15
		283	00	03	13
		282	00	01	46
		290	00	00	58
		292	00	00	20
		519	00	01	78
		293	00	00	66
		517	00	02	10
		277	00	03	82
		278	00	02	31
		281	00	08	90
		531	00	01	71
		530	00	13	64
		541	00	00	88
खजनी	टिकरिया दीगर	1	00	00	72
		43	00	16	00
		44	00	02	13
		36	00	01	68
		65	000	01	93
खजनी	कुडा बुजुर्ग	531	00	00	24
		97	00	00	44
		96	00	06	69
		93	00	11	90
		103	00	00	49
		104	00	11	59
		110	00	00	91
		253	00	00	23
		252	00	11	31
		218	00	00	46
		217	00	05	49
		216	00	03	30
		213	00	00	80

1	2	3	4	5	6
		212	00	04	78
		211	00	02	98
		210	00	10	46
		209	00	00	24
		201	00	00	40
		176	00	00	20
		120	00	00	20
		184	00	00	20
		192	00	05	82
		191	00	00	76
		193	00	01	17
		195	00	20	66
		197	00	00	22
		196	00	08	56
		187	00	05	00
		186	00	01	20
खजनी	कुडाभरथ	13	00	07	13
		14	00	03	40
		15	00	08	76
		16	00	07	77
		18	00	03	80
		17	00	03	38
		35	00	00	76
		54	00	02	63
		55	00	00	49
		56	00	01	96
		537/56	00	08	85
		58	00	04	74
		57	00	06	47
		452	00	07	29
खजनी	डोमरघाट	19	00	04	14
		20	00	04	01
		18	00	01	78
		24	00	00	28
		32	00	05	49
		33	00	04	82

1	2	3	4	5	6
		109	00	09	32
		110	00	00	24
		116	00	01	29
		118	00	07	84
		108	00	00	56
		127	00	00	42
		178	00	12	05
		179	00	00	32
		181	00	00	41
		182	00	10	39
		168	00	01	31
खजनी	सेमा	331	00	02	11
		229	00	00	59
		198	00	02	96
		197	00	01	16
		195	00	00	20
		196	00	05	98
		199	00	00	61
		138	00	00	38
		219	00	01	06

[फा. सं. आर-11025(15)/6/2020-ओआर-1/ई-33882]

पी. सोमाकुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION****New Delhi, 21 May, 2021**

S.O. 2187(E).—Whereas by the notification of the Government of the India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No 4318 (E) Dated 26 November 2020 published in the Gazette of the India Gazette No 3794 dated 2 December 2020 and under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act) the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying “Kandla-Gorakhpur LPG Gas Pipeline” for the transportation of LPG in Khajni Tehsil of Gorakhpur District in the state of Uttar Pradesh by IHB Private Limited.

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public up to 27th February 2021 And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline.

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration in IHB Private Limited, free from all encumbrances.

IHB Private Limited shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit claim or legal proceeding would be against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

Schedule

District :Gorakhpur		State : Uttar Pradesh			
Tehsil	Village	Survey No.	Area		
			Hect.-	Are -	Sq. mtr.
1	2	3	4	5	6
Khajni	Raxanara	128	00	11	17
		138	00	00	37
		139	00	00	20
		155	00	11	83
		154	00	06	87
		151	00	00	26
		164	00	14	94
		166	00	03	29
		167	00	02	48
		175	00	00	40
		221/175	00	00	22
		190	00	10	23
		195	00	13	10
		196	00	11	11
		201	00	00	41
		202	00	00	20
		216	00	16	90
Khajni	Chhatai	16	00	11	48
		465	00	10	89
		460	00	03	96
		461	00	00	29
		462	00	08	08
		463	00	01	41
		464	00	00	20
		469	00	00	41
		488	00	00	73
		477	00	19	19

1	2	3	4	5	6
		501	00	00	67
		502	00	01	44
		503	00	73	47
Khajni	Manjhariya Bujurg	280	00	00	20
		279	00	01	15
		283	00	03	13
		282	00	01	46
		290	00	00	58
		292	00	00	20
		519	00	01	78
		293	00	00	66
		517	00	02	10
		277	00	03	82
		278	00	02	31
		281	00	08	90
		531	00	01	71
		530	00	13	64
		541	00	00	88
Khajni	Tikariya Digar	1	00	00	72
		43	00	16	00
		44	00	02	13
		36	00	01	68
		65	000	01	93
Khajni	Kuda Bujurg	531	00	00	24
		97	00	00	44
		96	00	06	69
		93	00	11	90
		103	00	00	49
		104	00	11	59
		110	00	00	91
		253	00	00	23
		252	00	11	31
		218	00	00	46
		217	00	05	49
		216	00	03	30
		213	00	00	80
		212	00	04	78
		211	00	02	98

1	2	3	4	5	6
		210	00	10	46
		209	00	00	24
		201	00	00	40
		176	00	00	20
		120	00	00	20
		184	00	00	20
		192	00	05	82
		191	00	00	76
		193	00	01	17
		195	00	20	66
		197	00	00	22
		196	00	08	56
		187	00	05	00
		186	00	01	20
Khajni	Kudabharath	13	00	07	13
		14	00	03	40
		15	00	08	76
		16	00	07	77
		18	00	03	80
		17	00	03	38
		35	00	00	76
		54	00	02	63
		55	00	00	49
		56	00	01	96
		537/56	00	08	85
		58	00	04	74
		57	00	06	47
		452	00	07	29
Khajni	Domarghat	19	00	04	14
		20	00	04	01
		18	00	01	78
		24	00	00	28
		32	00	05	49
		33	00	04	82
		109	00	09	32
		110	00	00	24
		116	00	01	29
		118	00	07	84
		108	00	00	56

1	2	3	4	5	6
		127	00	00	42
		178	00	12	05
		179	00	00	32
		181	00	00	41
		182	00	10	39
		168	00	01	31
Khajni	Sema	331	00	02	11
		229	00	00	59
		198	00	02	96
		197	00	01	16
		195	00	00	20
		196	00	05	98
		199	00	00	61
		138	00	00	38
		219	00	01	06

[F. No. R-11025(15)6/2020-OR-I/E-33882]

P. SOMAKUMAR, Under. Secy.